



2026:AHC-LKO:19906

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - ए सं. 11642 वर्ष 2025

विवेक कुमार श्रीवास्तव

..... याची(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं
 कृषि विदेश व्यापार लखनऊ एवं 5 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता

: राम राज, दीपांशु दास, कंचन रावत,
 लालता प्रसाद मिश्रा

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता

: मु.स्था.अ., सुरेन्द्र कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 18

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपांशु दास, प्रत्युत्तरदातागण सं. 2 से 6 के विद्वान् अधिवक्ता श्री एम. पी. सिंह और श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, और राज्य के विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी. के. सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. प्रस्तुत रिट याचिका, विरोधी पक्षकार सं. 6 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 23.08.2025 को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है।

3. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि याची, आदेश दिनांक 28.12.2007 द्वारा 'मंडी पर्यवेक्षक' (सुपवाइजर) के पद पर नियुक्त होने के बाद, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ कार्य करता रहा था और उसका सेवाकाल निष्कलंक रहा था। उन्होंने निवेदित किया है कि याची को किसी नोटिस या किसी सूचना के बिना, और उसकी ओर से किसी त्रुटि के बिना, अचानक निलंबित कर दिया गया और उस पर आरोप-पत्र तामील कराया गया था। उन्होंने अग्रेतर कहा है कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा 04.07.2024 को पूरी की गई थी, और उसके बाद, याची द्वारा अधिमानित विभागीय अपील भी 30.09.2024 को खारिज कर दी गई थी।

4. उन्होंने तर्क दिया था कि निदेशक, मंडी परिषद ने आदेश दिनांक 04.04.2024 द्वारा, इस मामले की, विशेषकर विभाग को हुई क्षति के संबंध में, जांच करने के लिए चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था, जांच समिति ने 03.03.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और उक्त रिपोर्ट निदेशक, मंडी परिषद को प्राप्त होने के बाद, उन्होंने प्रारंभिक जांच समिति की संस्तुतियों का निर्देश करते हुए, 07.03.2025 को एक आदेश पारित किया था। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि रिपोर्ट, जिसका निदेशक, मंडी परिषद द्वारा अपने पत्र दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



07.03.2025 में निर्देश किया गया है, उस रिपोर्ट के निर्देश का सुसंगत भाग निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:

"तत्कालीन निदेशक/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित उक्त दण्डादेश दिनांक 04.07.2024 के में तत्कालीन निदेशक द्वारा श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव, मण्डी समिति बछरावां के कार्यकाल दिनांक: 28.06.2017 से 18.01.2021 तक की अवधि में बरती गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के प्रकाश में आने के फलस्वरूप मण्डी समिति को कारित वास्तविक क्षति की गणना एवं वसूली हेतु दिनांक 04.07.2024 द्वारा 04 सदस्यीय समिति गठित करते हुए आदेशित किया गया कि उपर्युक्त समिति, मण्डी समिति बछरावां के लम्बित देयताओं की वसूली की सम्भावनाओं पर विचार कर आख्या प्रस्तुत करेगी। यदि यह वसूली सम्भव न हो पाये तो उक्त समिति यह भी विचार करेगी कि अन्य कार्मिकों की संलिप्तता एवं दोध के अनुपात में वसूली कैसे की जाये।

तत्कालीन निदेशक के उक्त आदेश के अनुपालन में 04 सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक: 03.03.2025 को निम्नवत् जांच आख्या एवं संस्तुति प्रस्तुत की गयी है-

समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या:-

मण्डी समिति बछरावां के अभिलेखों का गहनती से परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत

10 चेक तत्कालीन सचिव श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम विरुद्ध अपनी अभिरक्षा

में रखा गया था एवं उक्त 10 चेक (कुल धनराशि रु. 2,20,37,147.00) की न तो रोकड़ रसीद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जारी करायी गयी एवं न ही समिति के खाते में जमा करने हेतु बैंक भेजा गया।

दण्डाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक द्वारा दिनांक **04.07.2024** को दण्डादेश पारित करते

हुए उक्त सभी बिन्दुओं की विस्तृत विवेचना और समीक्षा की गयी है। प्रश्नगत **10** चेक का

फर्मवार विवरण निम्नवत् है:

क्रमांक	फर्म का नाम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5
1	मै0 हिन्दुस्तान ट्रेडर्स	000229	दिनांक रहित	533207.00
2	मै0 हिन्दुस्तान ट्रेडर्स	000228	दिनांक रहित	2132825.00
3	मै0 जनता इन्टरप्राइजेज	685586	दिनांक रहित	3796976.00
4	मै0 जनता इन्टरप्राइजेज	685587	दिनांक रहित	949244.00
5	मै0 भारत ट्रेडर्स	00132	दिनांक रहित	5010878.00
6	मै0 भारत ट्रेडर्स	00131	दिनांक रहित	1252720.00
7	मै0 विशाल ट्रेडर्स	000558	दिनांक रहित	1372610.00
8	मै0 विशाल ट्रेडर्स	000557	दिनांक रहित	2745219.00
9	मै0 रायल इन्टरप्राइजेज	655762	दिनांक रहित	848694.00
10	मै0 रायल इन्टरप्राइजेज	655761	दिनांक रहित	3344774.00
	योग-			2,20,37,147.00

उपर्युक्त वर्णित रु. **2,20,34,147.00** के **10** चेक श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी [उ.प्र. कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964 की धारा -24-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(1) के अनुसार] के पास अनुरक्षित नहीं जिसके लिए अन्य कोई कार्मिक दोषी नहीं है। तदनुसार तत्कालीन सचिव श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से दोषी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सचिव, मण्डी समिति, बछरावां के कार्यकाल में बरती गयी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में आदेश संख्या: 203 दिनांक: 07.07.2022 द्वारा निलंबन सहित अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गयी। जाँचोपरांत मण्डी निदेशक के आदेश संख्या: 264 दिनांक: 04.07.2024 द्वारा मूल पद मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-दो के पद पर प्रत्यावर्तित कर आगामी 05 वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकते हुए विभागीय कार्रवाई निस्तारित की गयी है। वर्तमान में श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद्, मुख्यालय के कार्यालय से सम्बद्ध हैं।

-:समिति की संस्तुति:-

उक्त प्रकरण में सम्यक् परीक्षणोपरान्त गठित समिति निम्नवत् संस्तुति प्रस्तुत की गयी है-
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-21 तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 132 में निम्नवत् व्यवस्था प्राविधीनित है:-

32. अधिभार (1) समिति या किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग लिखित रूप में अथवा अन्य प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर सभापति या उपसभापति अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति समिति के किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दशा में निदेशक और समिति के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की दशा में सभापति ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक समझी जाए।

(2) यथा स्थिति निदेशक या सभापति, उपयुक्त हानि अपव्यय या दुरुपयोग के प्रकार तथी सीमा के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के पश्चात् सम्बद्ध व्यक्ति पर ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए दोषारोपण करेगा और उसे नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे उक्त नोटिस जारी किए जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर यह कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि क्यों न उससे धनराशि या सम्पत्ति को हानि अपव्यय या दुरुपयोग की वसूली की जाए।

(3) उप-नियम (2) के अधीन हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए दोषारोपित समिति का सभापति, उप सभापति, सदस्य अधिकारी या कर्मचारी उक्त उप नियम के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर या तो-

(क) उस हानि, अपव्यय या दुरुपयोग का जिसके लिए वह दोषारोपित किया गया हो, पूर्ति करेगा, या

(ख) अपने प्रतिवाद में लिखित स्पष्टीकरण देगा।

(4) यथास्थिति, निदेशक या सभापति उप-नियम (3) के मद (ख) के अधीन दिये गये स्पष्टीकरण की जांच करने के पश्चात् और सम्बद्ध व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होकर सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् या तो -

(क) ऐसी हानि अपव्यय या दुरुपयोग के दोषारोपण से मुक्त कर देगा, या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ख) ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए ऐसी धनराशि वसूल करने का आदेश देना जो उचित समझी जाए।

प्रतिबन्ध यह है कि उपयुक्त धनराशि के वसूल न होने के सभी मामलों की सूचना यथास्थिति निदेशक या समिति द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम की धारा-20 की उप-धारा (1) के अधीन माल गुजारी की बकाया के रूप में उसे वसूल करने के लिए दी जाएगी।

उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रु. 2,20,37,147.00 (रु० दो करोड़ बीस लाख सैंतीस हजार एक सौ सैंतालिस मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सचिव के विरुद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

2- उक्त धनराशि जमा न करने की दशा में वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अधीन श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव के वेतन, सी०पी०एफ०, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि धनराशि से नियमानुसार वसूली हेतु उपबंध किया जा सकता है।

3- उक्त कृत्य के लिए श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव एवं सम्बन्धित सभी फर्मों के विरुद्ध सुसंगत के अन्तर्गत मण्डी समिति, बछरावां द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

अतः उक्त 04 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति दिनांक 03.03.2025 से सहमत होते हुए, आपको निर्देशित किया जाता है कि समिति द्वारा प्रदत्त सभी संस्तुतियों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या परिषद मुख्यालय को भी प्रेषित करें।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उपर्युक्त रिपोर्ट दर्शित करते हुए, वह निवेदन करते हैं कि प्रारंभिक जांच समिति ने यह पाया और संप्रेक्षित किया है कि याची, नामतः विवेक कुमार श्रीवास्तव, दोषी है, और यह संस्तुति की गई थी कि रु. 2,20,37,147.00 की राशि और उक्त राशि की याची से वसूली की कार्यवाही विधि के अधीन विहित उपबंधों के अनुसार की जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि उपर्युक्त संस्तुतियों और संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए, मंडी परिषद् के निदेशक ने, मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना, सीधे मंडी समिति के अध्यक्ष को प्रारंभिक जांच समिति की संस्तुतियों का पालन करने का निदेश दिया था और अग्रेतर पालन की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया था।

6. याची के अधिवक्ता का अग्रेतर निवेदन है कि 'अधिभार' के संबंध में विधि, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (एतदपश्चात् 'अधिनियम 1964' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 21 के अधीन विहित है। अधिनियम, 1964 की धारा 21 का उपबंध इस प्रकार है:

"21. (1) समिति का सभापति, उप सभापति, प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक, समिति को किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग होने पर अधिभार के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग, सभापति, उप सभापति, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम है।

(2) अधिभार के लिए प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरुपयोग हुई धनराशि की वसूली ऐसी रीति से की जाएगी जो नियत की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(3) जहां कोई अधिभार कार्यवाही नहीं की जाती है, समिति निदेशक की पूर्व स्वीकृति से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है।"

7. इसके अतिरिक्त, उन्होंने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली, 1965 (एतदपश्चात् 'नियमावली, 1965' के रूप में निर्दिष्ट) के नियम 132 के उपबंध का भी निर्देश किया है, जो इस प्रकार है:

"132. अधिभार [धारा 21] - (1) समिति के किसी धन या संपत्ति की किसी भी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के संबंध में लिखित रूप में या अन्यथा कोई परिवाद प्राप्त होने पर, निदेशक, सभापति, उप सभापति या किसी सदस्य या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के किसी अधिकारी के विरुद्ध परिवाद प्राप्त होने पर, और सभापति, समिति के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध परिवाद प्राप्त होने पर, ऐसी जांच करेंगे जिसे वे आवश्यक समझें।

(2) निदेशक या सभापति, यथास्थिति, उपर्युक्त हानि, अपव्यय या दुरुपयोग की प्रकृति और सीमा से स्वयं संतुष्ट होने के बाद, संबंधित व्यक्ति पर ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग का आरोप लगाएंगे और उसे नोटिस जारी करेंगे कि वह उक्त नोटिस की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताए कि धन या संपत्ति की ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग की राशि उससे क्यों न वसूल की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(3) समिति का सभापति, उप सभापति, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी, जिस पर उप-नियम

(2) के अधीन हानि, अपव्यय या दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट

अवधि के भीतर या तो -

(क) उस हानि, अपव्यय या दुरुपयोग की भरपाई करे जिसके लिए उस पर आरोप लगाया

गया है; या

(ख) अपने बचाव में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

(4) निदेशक या सभापति, यथास्थिति, उप-नियम (3) के मद (ख) के अधीन प्रस्तुत

स्पष्टीकरण की जांच करने के बाद और संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुने जाने

का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, या तो -

(क) उसे ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के आरोप से मुक्त कर दें; या

(ख) ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए उतनी राशि की वसूली का आदेश दें जितनी वे

उचित समझें: परंतु कि ऐसी राशि की वसूली न होने के सभी मामले जैसा उपर्युक्त कहा गया

है, निदेशक या समिति, यथास्थिति, द्वारा राज्य सरकार को सूचित किए जाएंगे, जिससे कि

अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के अधीन इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में

वसूल किया जा सके।"

8. उपर्युक्त का निर्देश करते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि जहां तक धारा 21 के अधीन निर्धारित

उपबंध का संबंध है, उसमें यह व्यवस्था है कि अधिभार की प्रक्रिया और नुकसान, अपव्यय या

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दुरुपयोग से संबंधित राशि की वसूली की रीति वैसी ही होगी जैसा विहित किया जाए; और बाद में, जब नियम बनाए गए, तो नियम 132 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि जहां तक 'समिति' के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किए गए नुकसान का संबंध है, उसकी जांच मंडी समिति के सभापति द्वारा की जाएगी। उन्होंने अग्रेतर कहा है कि आदेश दिनांक 07.03.2025 स्वतः स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक जांच समिति की संस्तुति मिलने के बाद, मंडी परिषद् के आयुक्त/निदेशक ने मंडी समिति के सभापति को निदेश दिया था कि वे समिति की संस्तुतियों का पालन करें और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें; अतः, उनका निवेदन है कि मंडी समिति के सभापति के पास जांच करने और अधिभार के, जिसे याची से उस नुकसान की भरपाई के रूप में वसूल किया जाना था, जिसका आरोप है कि वह विभाग को हुआ है, संबंध में जांच करने के लिए अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने की कोई व्याप्ति नहीं थी।

9. याची के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि चेकों को संग्रह करने का कार्य निरीक्षक और पर्यवेक्षक का है, और निरीक्षक को, जो स्वतः चेकों को संगृहीत न करने का दोषी है, बाद में कार्यवाहक सचिव के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है; और उसके परिवाद पर ही सारी कार्यवाही आरंभ की गई है, और विभाग द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

10. अपनी तर्कों के समर्थन में, उन्होंने विभाग के परिपत्र दिनांक 22.09.1988 का निर्देश किया है और कहा है कि उपर्युक्त परिपत्र द्वारा विभाग के विभिन्न कर्मचारियों को कार्य सौंपे गए हैं, और यहां निरीक्षक को चेकों का संग्रह करने और उन्हें जमा करने का कार्य सौंपा गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. अपने तर्कों के समर्थन में वह निवेदन करते हैं कि जांच समिति की संस्तुति किए जाने से पूर्व, वास्तव में याची को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, और इसे एक अंतिम जांच मानते हुए, निदेशक ने आदेश दिनांक 07.03.2025 पारित किया है।

12. अपने तर्कों को समाप्त करते हुए, वह निवेदन करते हैं कि वास्तव में, वसूली की इतनी बड़ी राशि अधिरोपित करने से पूर्व, याची को किसी भी प्रक्रम पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और अग्रेतर, निदेशक, मंडी परिषद् ने अधिनियम और नियमवली के उपबंधों को अनदेखा करते हुए इस मामले में कार्यवाही की है और यहां आक्षेपित दिनांक 07.03.2025 पारित किया है। अतः, निवेदन यह है कि आदेश दिनांक 07.03.2025, और प्रारंभिक जांच समिति की संस्तुति सहित, पारिणामिक सभी आदेश विधि की दृष्टि में असंधार्य हैं।

13. दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 से 6 के विद्वान् अधिवक्ता श्री एम. पी. सिंह और श्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया है और अधिनियम, 1964 की धारा 27, सपठित नियमवली 1965 के नियम 135 की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। नियमवली 1965 का नियम 135 इस प्रकार है:

"135. कुछ मामलों में निदेशक की शक्तियां [धारा 27 एवं 40(2)(xxx)] -

अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक -

(i) समिति के कामकाज का समय-समय पर निरीक्षण, इस संबंध में अपने द्वारा अधिकृत किसी

अधिकारी से करवा सकता है;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) कोई रिपोर्ट या परिवाद प्राप्त होने पर, या अपनी स्वयं की पहल पर, समिति के खातों का विशेष संपरीक्षा समिति के व्यय पर करवाने का आदेश दे सकता है;

(iii) समिति, सभापति, उप सभापति या समिति के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे उपाय करने का निदेश दे सकता है, जिन्हें वह बाजार क्षेत्र, मुख्य बाजार स्थान और उप-बाजार स्थानों के सुधार और विकास के लिए आवश्यक समझे;

(iv) ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिन्हें वह अधिनियम के अधीन समिति और समिति के सभापति, उप सभापति, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के उचित कामकाज और उन पर प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए आवश्यक समझे;

परंतु यहकि पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां, जहां तक वे अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन समिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित हैं, समिति के अध्यक्ष के माध्यम से ही प्रयोग की जाएंगी।

(v) अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (4) के अधीन कोई जांच करने के उद्देश्य से, किसी भी परिसर, वाहनों या भंडार का निरीक्षण कर सकता है, या करवा सकता है।"

14. उपर्युक्त का निर्देश करते हुए, वह निवेदन करते हैं कि यह सही नहीं है जैसा याची के अधिवक्ता द्वारा सीधे तौर पर कहा है कि निदेशक की, किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध आरंभ की जाने वाली किसी जांच या निरीक्षण में कोई भूमिका नहीं होती है, जिसने विभाग को नुकसान

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पहुंचाया है; बल्कि, मंडी समिति का सभी प्रकार से निरीक्षण करने की सभी शक्तियां निदेशक में निहित होती हैं, और उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में, निदेशक ने एक प्रारंभिक जांच समिति गठित की है, और संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात्, उन्होंने आदेश पारित किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां तक नियम 135 का संबंध है, वह भी निदेशक की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताता है, इसलिए, निदेशक की शक्तियां उस प्रकार प्रश्नगत किए जाने योग्य नहीं हैं, जैसा याची के अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है।

15. अग्रेतर निवेदन किया गया है कि सुनवाई का अवसर अधिदिष्ट नहीं है, जहां तक प्रारंभिक जांच का संबंध है, और इसलिए यदि विधि के अधीन विहित प्राधिकार के अधीन निदेशक द्वारा गठित प्रारंभिक जांच समिति ने याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया था, तो भी प्रारंभिक जांच समिति की रिपोर्ट में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने यह भी निवेदित किया है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याची द्वारा गबन किया गया है; बल्कि, दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि दस चेक, जो याची द्वारा विभिन्न फर्मों से प्राप्त किए गए थे, फर्मों के साथ दुस्संधि करके समय के भीतर बैंक में जमा नहीं कराया गया था, और इसी कारण से, जब उन 'फर्मों' को दिवालिया घोषित कर दिया गया था और उनसे राशि वसूली योग्य नहीं रह गई थी, तो उसका उत्तरदायित्व याची पर आ गया था; और वह जांच समिति की संस्तुति के बाद, उस पर निर्धारित दायित्व से इन्कार नहीं कर सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. प्रत्युत्तरदाता-निगम के विद्वान् अधिवक्ता श्री एम. पी. सिंह निवेदन करते हैं कि जहां तक अधिनियम, 1964 की धारा 24 की उप-धारा (घ) के उपबंध का संबंध है, यह सचिव की शक्तियों और कर्तव्यों को विहित करती है, जिसमें यह उपबंध है कि सचिव समिति की ओर से प्राप्त सभी धन और व्यय किए गए सभी धन के खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करेगा; इसलिए, यह याची का दायित्व था कि वह चेक प्राप्त करे और उसका अनुरक्षण करे। उन्होंने निवेदन किया है कि जहां तक परिपत्र का संबंध है, उसका अधिनियम के उपबंधों पर कोई अधिभावी प्रभाव नहीं होगा।

17. आगे निवेदन किया गया है कि विभाग के प्राधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर मामले की कार्यवाही की गई थी, और इसलिए, उस परिवाद पर की गई कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए, निवेदन है कि समस्त कार्यवाही अधिनियम, 1964 और 'नियमावली 1965' के अधीन विहित विधि के अनुसार ही की गई है, इस प्रकार, इसमें कोई हस्तक्षेप अधिकृत नहीं है।

18. इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया है कि वास्तव में मंडी समिति के सभापति ने याची को तीन बार अवसर प्रदान किया था, परंतु वह किसी न किसी बहाने से सभापति के समक्ष उपस्थित दर्ज नहीं हुआ था, इसलिए, दोष, यदि कोई है, वह याची की ओर से है, और इस तथ्य के लिए विभाग को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है कि सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह स्पष्ट होता है कि याची को जुलाई, 2022 के महीने में निलंबित किया गया था और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की गई थी। याची पर आरोप-पत्र तामील कराए जाने के पश्चात्, मामले की कार्यवाही की गई थी और अंततः जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और याची को दोषी पाया गया था, क्योंकि उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोप सही पाए गए थे। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी ने याची को दंड दिया है, जिसे याची ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विभागीय अपील दाखिल करके चुनौती दी थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है।

20. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ होने के साथ, पत्र/आदेश, पत्र निर्देश सं. 265, दिनांक 04.07.2025 द्वारा निदेशक, मंडी परिषद ने चार सदस्यीय समिति गठित करके एक जांच संस्थित की थी, तत्पश्चात्, समिति ने कार्यवाही की थी और सुनवाई का अवसर दिए बिना, चार सदस्यीय समिति ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 03.03.2025 को प्रस्तुत की है, इसके बाद, उस पर विचार करते हुए, निदेशक ने 07.03.2025 को आदेश पारित किया था, जो याची से अधिभार के रूप में वसूली जाने योग्य, अभिकथित बड़ी राशि के दुर्विनियोग के निष्कर्ष तक पहुंचने का आधार और उत्पत्ति है।

21. अधिभार से संबंधित प्रक्रिया, अधिनियम, 1964 की धारा 21 और नियम (वली) 1965 के नियम 132 के अधीन विहित की गई है। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कोई हानि कारित की जाती है, तो मंडी समिति के सभापति द्वारा जांच किए जाने के बाद अधिभार अधिरोपित किया जाएगा।

22. इस न्यायालय ने पाया है कि, मंडी समिति का निरीक्षण करने के संबंध में निदेशक की शक्ति पर, जैसी अधिनियम 1964 की धारा 27 और नियमावली 1965 के नियम 135 के अधीन विहित है, कोई आक्षेप नहीं है, किन्तु यहां प्रश्न यह है कि क्या निदेशक, अधिभार के रूप में एक राशि की वसूली के लिए मंडी समिति के एक कर्मचारी के विरुद्ध, केवल प्रारंभिक जांच समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही कर सकता है।

23. मैंने मण्डी समिति की संस्तुति पर विचार किया है और पाया है कि समिति द्वारा संप्रेक्षण किया गया है 'तदनुसार तत्कालीन सचिव श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से दोषी हैं' और अग्रेतर संस्तुति के अधीन, न केवल उपबंध का निर्देश किया गया है, बल्कि निम्नवत् संस्तुति की गई है:

"उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रु0 2,20,37,147.00 (रु0 दो करोड़ बीस लाख सैंतीस हजार एक सैंतालिस मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन सचिव के विरुद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाये।"

24. प्रारंभिक जांच समिति द्वारा अभिलिखित इन दो निष्कर्षों के आधार पर, निदेशक ने, कोई कारण बताए बिना, दो पंक्तियों में आदेश पारित किया है कि सभापति, मण्डी समिति को चार सदस्यीय प्रारंभिक जांच समिति की संस्तुति के अनुपालन में कार्यवाही करनी चाहिए। इस

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रकार, सभापति, मंडी समिति के लिए अधिभार की वसूली के लिए आदेश पारित करने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचा था, जो विधि के उपबंधों के विरुद्ध है।

25. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि प्रारंभिक जांच के प्रक्रम पर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्राधिकारियों द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को इस तरह माना गया है जैसे वह अंतिम जांच रिपोर्ट है, और प्रारंभिक जांच के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया गया है, अतः, सुनवाई का अवसर आवश्यक है, जिसका स्पष्ट रूप से अभाव है, इसलिए, आक्षेपित आदेश, विधि के प्रथम सिद्धांत, अर्थात् नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, का उल्लंघन करता है।

26. आदेश दिनांक 07.03.2025 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि निदेशक, मंडी परिषद ने सभापति, मंडी समिति के लिए, जहां तक अधिभार का संबंध है, अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग करने के लिए कोई अवसर शेष नहीं छोड़ा है, और सभापति, मंडी समिति द्वारा पारित और चुनौती के अधीन आदेश भी स्पष्ट है कि वह पूर्णतः प्रारंभिक जांच समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर आधारित है।

27. इस दृष्टि से, न तो निदेशक, मंडी परिषद ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया है, क्योंकि अधिभार की वसूली के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है, और न ही सभापति, मंडी समिति के लिए, प्रारंभिक जांच समिति द्वारा अपनी संस्तुति में दिए गए कारण के अतिरिक्त कोई अन्य कारण दिया जाना संभव था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



28. उपर्युक्त निवेदनों और चर्चाओं की दृष्टि से, यह न्यायालय पाता है कि सभापति, कृषि उत्पादन मंडी समिति, बछरावां, रायबरेली द्वारा यहां पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 22.08.2025, और उसके पश्चात् पारित आदेश दिनांक 23.08.2025 असंधार्य हैं।

29. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

30. सक्षम प्राधिकारी को, सभी हितधारकों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, मामले में कार्यवाही करने और इस आदेश की दिनांक से चार माह की अवधि के भीतर, एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

31. तदनुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

मार्च 18, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”